कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सूरजपुर

पुराना कलेक्टोरेट परिसर सूरजपुर, जिला–सूरजपुर(छ0ग0) पिन–497229
E-mail:-www.icdssurajpur@gmail.com Phone – 07775-266070

//शहरी क्षेत्र हेतु विज्ञप्ति//

क्रमांक /43/ स्था0/बाविपरि./2026–27 सूरजपुर, दिनांक 23.11.26

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन ब्लॉक–1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025- WCD HOD IT SECTION IT नवा रायपुर दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सूरजपुर जिला सूरजपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत शिवनन्दनपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 14 में स्वीकृत आंनगबाड़ी केन्द्र में सहायिका के रिक्त पदो हेतु योग्य महिला उम्मीदवारो से नीचे दर्शाये शर्तो के अधीन आवेदन पत्र दिनांक **23–11–2026 से 07–12–2026** (सांय 5 बजे) तक ऑनलाईन पद्धती के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही होगा। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in/** में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी हेतु उक्त पोर्टल में उपलब्ध "उपयोगकर्ता मेनुअल" की सहायता ली जा सकती है। पद पूर्ति हेतु विज्ञापन का विवरण –

क्र0	सेक्टर का नाम	नगरपालिका/ नगर पंचा0 का नाम	वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम/ क्रमांक	रिक्त पद का नाम
01	विश्रामपुर ग्रामीण	शिवनन्दनपुर	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड–14	शिवनन्दनपुर तलवापारा–02	आ.बा.सहायिका

❖ **आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें :–**

01. आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा।
02. आंगनबाड़ी सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए होगा।
03. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। एक वर्ष या उससे अधिक समय तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका के रूप में कार्य कर चुकी आवेदिका को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया हो, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगी।
04. जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है अथवा जहां पद रिक्त है, आवेदिका उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
05. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सहायिका पद हेतु निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कक्षा आठवीं बोर्ड उत्तीर्ण होगी।

टिप– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं बोर्ड मानी जावेगी।, उसके उपरांत भी यदि 8 वीं बोर्ड आवेदिका नही मिलने पर शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 5 वीं बोर्ड मान्य की जावेगी। यदि फिर भी किसी केन्द्र हेतु 5वीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नही है तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

06. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवेदिकाओं को शासन के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।
08. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में कक्षा आठवीं तक अध्ययन करने पर नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

Creative Chhattisgarh
नियमनीय छत्तीसगढ़
23/11/26

09. पूर्व से अनुभवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका होने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
10. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर SECC सूची 2011 के प्रमाणित अभिलेख के आधार पर नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
11. दावा–आपत्ति के समय किसी प्रकार का नवीन दस्तावेज/प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा–आपत्ति स्वीकार की जाएगी।
12. नियुक्ति के पश्चात अथवा आवेदन की छानबीन के दौरान कोई दस्तावेज कूटरचित, जाली अथवा फर्जी पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
13. आवेदिका आवेदन करने से पूर्व समस्त नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर आवेदन करें। आवेदन जमा होने के पश्चात कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

❖ **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण :–**

(अ)निवास संबंधी आवश्यक दस्तावेज :–

आवेदिका को संबंधित वार्ड की स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करें :–

01. संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति में आवेदन पत्र में संबंधित आवेदिका के द्वारा उल्लेख कर अद्यतन मतदाता सूची की छायाप्रति आवेदन के साथ जमा की जावे।
02. संबंधित वार्ड के पार्षद तथा नगरपालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड का स्पष्ट उल्लेख हो।
03. पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

टिपः–यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

(ब) शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यक दस्तावेज :–

01. कक्षा आठवीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति।
02. निर्धारित छूट के अंतर्गत कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति, जहां लागू हो।

टिप :–. ग्रेडिंग अंकसूची होने के स्थिति में संबंधित शाला के प्रधान पाठक से विषयवार निर्धारित पूर्णांक/प्राप्तांक की हस्ताक्षरित अंक तालिका एवं शाला के रिकार्ड/मूल दस्तावेज की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा। उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नही कराये जाने पर ग्रेडिंग अंकसूची पर ग्रेडिंग के न्यूनतम अंक आधार पर अंक प्रदान किया जावेगा।

(स) जाति संबंधी आवश्यक दस्तावेज :–

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिका नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी वैध अस्थाई जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छः माह की वैधता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टिप :– अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर अंक की पात्रता नही होगी।

(द) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज :–

01. **विधवा** आवेदिका की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
02. **परित्यक्ता** आवेदिका की स्थिति में संबंधित वार्ड के पार्षद एवं नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी परित्यक्ता प्रमाण पत्र अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश।
(परित्यक्ता के संबंध में 2 वर्ष से अधिक अवधि को मान्य किया जावेगा।)
03. **तलाकशुदा** आवेदिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक संबंधी आदेश की छायाप्रति।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ

कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सूरजपुर

पुराना कलेक्टोरेट परिसर सूरजपुर, जिला–सूरजपुर(छ0ग0) पिन–497229

E-mail:-www.icdssurajpur@gmail.com Phone – 07775-266070

(इ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने संबंधी आवश्यक दस्तावेज :–

01. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने की स्थिति में छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना वर्ष 2011 की प्रमाणित सूची जमा करने पर अंक प्रदाय किया जावेगा। प्रभावशील सूची का प्रमाणीकरण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा जारी किये जाने पर ही अंक की पात्रता होगी।

(ई) कन्या छात्रावास में अध्ययन संबंधी आवश्यक दस्तावेज :–

01. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम/छात्रावास में कक्षा आठवीं तक अध्ययन करने का प्रमाण पत्र संबंधित छात्रावास अधिक्षिका/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। **(दाखिल खारिज क्रमांक का उल्लेख अनिवार्य होगा।)**

(उ) अनुभव संबंधी आवश्यक दस्तावेज :–

01. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना अनिवार्य होगा।

टिप :– एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि का अनुभव होने पर ही निर्धारित अतिरिक्त अंकों की पात्रता होगी।

विशेष निर्देश आवेदिका द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज स्व प्रमाण होना अनिवार्य होगा। जिस अतिरिक्त अंक की पात्रता का दावा करती है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करे। आवेदन जमा होने के पश्चात कोई नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

❖ **अंको का वर्गीकरण का विवरण –**

क्र0	योग्यता	प्रदाय किये जाने वाले अंक	कुल अधिकत्म प्राप्तांक
1	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत् के 60 प्रतिशत् अंक के बराबर अंक	60
2	विधवा अथवा तलाकशुदा/परित्याक्ता होने पर	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के महिला होने पर	10 अंक	10
4	पूर्व से अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सहसहायिका होने पर	1 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव पर 6 अंक	6
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर (प्रभावशील SECC 2011 मापदण्ड)	6 अंक	6
6	कन्या छात्रावास अध्ययन पर	3 अंक	3
	कुल अंक	**100 अंक**	**100**

23/11/26

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
सूरजपुर जिला–सूरजपुर(छ.ग.)
सूरजपुर दिनांक 23.11.26

पृ0क्र0 /432/स्था./बाविपरि/ 2026–27

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर, महोदय जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
02. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
03. उप संचालक जनसंपर्क विभाग, सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ। कृप्या लोकहित में स्थानीय 02 समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
04. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)

Dedicated Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ

कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सूरजपुर

पुराना कलेक्टोरेट परिसर सूरजपुर, जिला–सूरजपुर(छ0ग0) पिन–497229

E-mail:-www.icdssurajpur@gmail.com Phone – 07775-266070

06. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
07. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकास खण्ड सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
08. सेक्टर पर्यवेक्षक सेक्टर विश्रामपुर ग्रामीण परियोजना सूरजपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया विज्ञापन की प्रति संबंधित वार्ड के पार्षद को तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
09. नगर पचांयत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शिवन्दनपुर को सूचनार्थ। कृप्या अपने नगर पंचायत में जारी विज्ञापन के संबंध में पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें एवं कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराना सुनिश्चित करें। नगर पंचायत के सूचना पटल में भी एक प्रति चस्पा अनिवार्य रूप से किया जावें।

23/11/26

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
सूरजपुर जिला–सूरजपुर(छ.ग.)